समाहरणालय, गढ़वा

(महात्मा गाँधी नरेगा कोषांग)

ग्राम रोजगार सेवक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना

उपायुक्त, गढ़वा के ज्ञापांक–568 / मनरेगा दिनांक–23.04.2018 द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत् ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प संख्या–3854 दिनांक–01.06.2018 के आलोक में उपर्युक्त विज्ञापन को रद्द किया जाता है।

पुनः कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प संख्या–3854 दिनांक–01.06.2018 द्वारा गढ़वा जिला के लिए स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना जायेगा के निर्गत आदेश के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प ज्ञापांक–4729 दिनांक–04.06.2007 के तहत् महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत् संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्राम रोजगार सेवक के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

ग्राम रोजगार सेवक के पद हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक योग्यता / अहर्ता की जानकारी गढवा जिला के वेबसाईट (garhwa.nic.in) पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2018 के अपराहन 05:00 बजे तक विकास शाखा, गढ़वा में सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

ह0 / –
उपायुक्त,
गढ़वा।

ज्ञापांक......764......... / मनरेगा, दिनांक..........13/6/18

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, एन.आई.सी. गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त विज्ञापन को गढ़वा के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

14/6
उपायुक्त,
गढ़वा।

समाहरणालय, गढ़वा
(महात्मा गाँधी नरेगा कोषांग)
विज्ञापन

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–4729 दिनांक–4.6.2007 के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा के अधीन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्राम रोजगार सेवक के स्वीकृत रिक्त पदों पर **नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी।**
2. रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत् है –
   अनुसूचित जनजाति–7, अनुसूचित जाति–8, पिछड़ा वर्ग–3, अनारक्षित–33 कुल–51
3. ग्राम रोजगार सेवक के पद हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी/अर्हत्ताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र उपायुक्त, गढ़वा के पदनाम से देय होगा।
4. परिलब्धि – 6,050/– (छः हजार पचास) रूपये प्रतिमाह।
   इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम रोजगार सेवकों के लिए घोषित भत्ता भी देय होगा।
5. **शैक्षणिक योग्यता –**
   i) <u>अनिवार्य योग्यता</u> : सरकारी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई.टी.आई., मैट्रिक के पश्चात् आई.टी.आई. की स्थिति में आई.टी.आई. के प्राप्तांक प्रतिशत को इन्टरमीडिएट प्राप्तांक के प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।
   ii) <u>अतिरिक्त योग्यता</u> :
      a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी.सी.ए. तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.सी.ए./पी.जी.डी.बी.ए./पी.जी.डी.आर.डी. अतिरिक्त योग्यता होगी।
      b) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। पी.जी.डी.सी.ए./पी.जी.डी.बी.ए./पी.जी.डी.आर.डी. को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 अंक घटा दिया जायेगा।
   iii) अभ्यर्थियों की योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट, स्नात्तक तथा स्नात्तकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।
   iv) सभी शैक्षणिक योग्यताएँ, जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होंगी।
6. आयु सीमा – ग्राम रोजगार सेवक के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी। आयु सीमा की गणना दिनांक–01.01.2018 के आधार पर की जायेगी।
7. आरक्षण – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर गढ़वा जिला के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन गढ़वा जिला के किसी प्रखंड एवं किसी ग्राम पंचायत में उपायुक्त, गढ़वा द्वारा किया जायेगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी होगा।
9. यदि कोई कार्यरत कर्मी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह के पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी।
10. किसी कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में उसे एक माह की सूचना देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा, नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी।

11. प्रारम्भिक चरण में ऐसी नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि पूर्ण होने के पूर्ण होने के पूर्व विशेष पद पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्य की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए पुनः संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

12. प्रशिक्षण – ग्राम रोजगार सेवक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अन्त में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उत्तीर्णता का मापदंड राज्य सरकार या नियुक्ति/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश से निर्धारित किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही चयनित अभ्यर्थियों को अन्तिम रूप से नियुक्त समझा जायेगा एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा उनकी पदस्थापना की जायेगी। प्रशिक्षण अवधि एवं स्थल निर्धारण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

13. ग्राम रोजगार सेवक के पद पर चयन योग्यता के आधार पर तैयार प्रारम्भिक मेधा सूची से की जायेगी।

14. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों/अंक पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

15. जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति हेतु प्रारम्भिक मेधा सूची के अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्र का सत्यापन इत्यादि के लिए गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा आमंत्रित किया जायेगा।

16. स्थानीयता नीति– स्थानीयता के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–3854 दिनांक–01.06.2018 के आलोक में गढ़वा जिला के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे।

17. आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2018 के अपराह्न 5:00 बजे तक गढ़वा समाहरणालय अन्तर्गत विकास शाखा में सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

उपायुक्त
गढ़वा

ज्ञापांक 765 / मनरेगा, दिनांक 19/6/18

प्रतिलिपि – जिला सूचना–प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, एन.आई.सी., गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त विज्ञापन को गढ़वा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त
गढ़वा

आवेदन पत्र का प्रपत्र (प्रारूप)

हाल का पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदित पद का नाम ....

2. अभ्यर्थी का नाम ....

3. पिता / पति का नाम ....

4. स्थायी पता ....

....

5. वर्तमान पता ....

....

6. मोबाईल / दूरभाष नम्बर ....

7. जन्म तिथि ....

8. लिंग .... (पुरूष / महिला)

9. कोटि .... (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति / सामान्य)
(जो लागू नहीं हो काट दें)

10. स्थानीयता .... (निवास प्रमाण की छायाप्रति)

11. शैक्षणिक योग्यता –

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक %

12. अन्य योग्यता (यदि कोई हो) ....

आवेदक का हस्ताक्षर

मैं, घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचनाएँ सही हैं। यदि भविष्य में दी गयी कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरे विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर